-1.

5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 102

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 –एक/2016 निगरानी निग - 3272-I-16

भूप सिंह पुत्र प्रहलाद आयु 55 वर्ष
जाति रावत्, व्यवसाय कृषि कार्य
निवासी ग्राम घूघस
तहसील बीरपुर, जिला श्योपुर, म0प्र0 ---आवेदक

श्री जी. पी. नायक, अभि. द्वारा आज दि 23.9.16 को प्रस्तुत

विरुद्ध

1- म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर श्योपुर
2- अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश --असल अनावेदकगण
3- श्रीमती किस्तूरी पत्नि नृपति रावत
निवासी ग्राम छावर तहसील बीरपुर
जिला श्योपुर --फार्मल अनावेदक

23/9/016

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 – अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर व्दारा प्रकरण कमांक 69/2013–14 बी 121 में पारित आदेश दिनॉक 30–3–2015 के विरूद्ध)

कृ0पृ030 --2

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 3272-एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
6-10-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजयपुर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 69/2013-14 बी 121 में पारित आदेश दिनॉक 30-3-15 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के परीक्षण पर स्थिति यह है कि श्रीमती किस्तूरी वाई पत्नि निरपत रावत निवासी ग्राम छावर तहसील बीरपुर ने अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मॉग रखी कि ग्राम घूघस स्थित भूमि सर्वे कमांक 29 रकबा 0.387 है., 30 रकबा 0.188 है., 31 रकबा 0.146 है., 33 रकबा 2.727 है., 35 रकबा 0.961 है. कुल किता 5 कुल रकबा 4.409 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का पट्टा शासन से प्राप्त है किन्तु लिपिकीय त्रृटि से भूमि बीजाराम, रतन पुत्रगण भोला बंजारा के नाम दर्ज हो गई है, जबकि भूमि का लगान वही अदा कर रही है एंव खेती करती आ रही है, इसलिये संहिता की धारा 113 , 115 के अंतर्गत अभिलेख दुरूस्त किया जाकर शासकीय अभिलेख में उसके नाम का सँशोधन किया जावे। इस आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने प्र0 क0 69/2013-14 बी 121	

पंजीबद्ध किया तथा महिला किस्तूरी वाई की सुनवाई कर साक्ष्यॉकन उपरांत आदेश दिनांक 9-6-2014 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर बीजाराम, रतन पुत्रगण भोला बंजारा के बजाय महिला किस्तूरी का नाम खसरे में इन्द्राज करने के आदेश दिये।

उक्तादेश उपरांत रामरज पुत्र पातीराम रावत निवासी ग्राम घूघस ने अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 25-8-14 प्रस्तुत कर बताया कि उक्त भूमि के भूमिस्वामी बीजाराम, रतन भूदान पट्टाधारी हैं किन्तु यह पिछले 35-40 वर्ष से ग्राम में नहीं हैं और पिछले 35-40 वर्षो से अन्य व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किये हैं महिला किस्तूरीवाई के नाम दर्ज कराने का आदेश गलत आधारों पर प्राप्त किया गया है इसलिये संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आदेश दिनांक 9-6-14 में सॅशोधन किया जाकर भूमि शासकीय घोषित की जावे। अनुविभागीय अधिकारी के अभिज्ञान में उक्तांकित तथ्य आने पर उन्होंने प्रकरण कमांक 69/2013-14 बी 121 को संहिता की धारा 32 के अंतर्गत पुंनविचार में लेकर मौके की स्थिति की जॉच तहसीलदार बीरपुर से कराई एंव हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 30-3-15 पारित किया तथा आदेश दिनॉक 9-6-14 भ्रमित स्थिति पर आधारित पाने के कारण निरस्त करते हुये वादग्रस्त भूमि शासकीय अंकित किये जाने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक 3272–एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
	3/ आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	4/ शासन के पैनल लायर व्दारा आपत्ति की गई कि जब अनुविभागीय अधिकारी ने एक वार भूमि किसी व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज कर दी थी तब संहिता की धारा 32 के अंतर्गत उन्हें प्रकरण में दुवारा सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं थी क्योंकि उक्तादेश अपील/निगरानी योग्य हो गया था इसलिये ऐसे पीठासीन अधिकारी के खिलाफ Structure पास किया जाना चाहिए। शासन के पैनल लायर व्दारा की गई आपत्ति पर विचार किया गया । संहिता की धारा 32 के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है –	
	धारा 32 – राजस्व न्यायालयों की अन्तर्निहित शक्ति – इस संहिता की धारा की किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह ऐसे आदेश जो कि न्याय के उद्वेश्यों की पूर्ति के लिये या न्यायालय की प्रकिया के दुरूपयोग के निर्वारण के लिये आवश्यक है, देने की राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित करती है या उसे अन्यथा प्रभावित करती है। भागीरथ बनाम हरनाथ सिंह 1984 रा0नि0 373 का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :– " न्यायालय को धोखा दिया गया या कपट किया गया – अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। " इसी प्रकार नथमल विरुद्ध कुंजीलाल 1960 J.L.J. 209 हाईकोर्ट का न्यायिक दृष्टांत है कि – "यदि न्यायालय पर कपट करके आदेश प्राप्त कर लिया जाय	

तो ज्ञात होने पर न्यायालय निरस्त कर सकता है। ''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के अभिज्ञान में जैसे ही महिला किस्तूरी वाई व्दारा कपट करके स्वय् के हित में आदेश करा लेना पाया गया, रामरज पुत्र पातीराम रावत व्दारा आवेदन देकर तथ्य बताने पर अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने विधिवत् जॉच एंव सुनवाई कर महिला किस्तूरीवाई व्दारा कपट करके एंव वास्तविकता छिपाकर प्राप्त किया गया आदेश दिनांक 9–6–14 को संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर आदेश दिनांक 30–3–15 से निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि करना नहीं पाया गया है।

जहॉ तक पीठासीन अधिकारी के खिलाफ **Structure** पास करने वावत् पैनल लायर व्दारा दिये गये सुझाव का प्रश्न है – मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,भोपाल के ज्ञापन कमांक 1248/6197/75/सात/ स्थापना दिनांक 3–4–1976 का पद 4 इस प्रकार है :–

" इन नियमों में ऐसा कोई अवरोध नहीं लगाया गया है कि निर्णीत किये गये प्रकरणों के निरीक्षण हेतु अपील अथवा पुनरावेदन की कार्यवाही आवश्यक है। धारणा है कि इसी तरह के निरीक्षण के नियम राजस्व न्यायालयों के सम्बन्ध में भी होंगे। इस सम्बन्ध में कोई औचित्य समर्थन की आवश्यकता नजर नहीं आती है कि कतिपय बैधानिक प्रश्नों के संबंध में दो राय हो सकती है एंव निर्णय अथवा कार्यवाही की साधारण भूलों के फलस्वरूप कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जाना चाहिये अन्यथा राजस्व मामलों में न्यायिक अधिकारी का उपयोग करने वाले अधिकारियों का मनोवल गिरेगा। ''

उपरोक्त स्थिति में विद्वान पैनल लायर व्दारा उठाई गई

XXXIX(a) BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 3272–एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
	आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त नियमों के अधीन तत्का.पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं रह गया है।	
	5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में व्यक्त किया कि तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 24–3–15 में बताया गया है कि किस्तूरीवाई को उक्त भूमि का पटटा नहीं मिला है किन्तु मौके पर अन्य ग्रामीणों का कब्जा है एंव आवेदक का भी कब्जा है इसलिये भूमि शासन की घोषित न करते हुये मौके पर खेती कर रहे कब्जेदारों को दी जाना चाहिये थी। उन्होंने भूमि आवेदक के कब्जे की भूमि आवेदक के नाम दर्ज करने की मांग रखी है।	
	प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि जब शासकीय अभिलेख अनुसार बीजाराम, रतन पुत्रगण भोला बंजारा पटटाग्रहीता रहे हैं जो पिछले 35–40 वर्षों से फरार हैं एंव ग्राम नहीं रहते हैं जिसके कारण पटटे के भूमि पर ग्रामीणों का बेजा कब्जा हो गया है, तबऐसे पटटे की भूमि की क्या स्थिति बनेगी ?	
	म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 176 -- खाते का परित्याग (abandonmemt of holding) यदि कोई ऐसा भूमिस्वामी , जो अपजे खाते पर या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति व्दारा दो वर्ष तक खेती नहीं करता है भू राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उसने उस ग्राम को, जिसमें कि वह सामान्यतः निवास करता है छोड़ दिया हो तो ऐसी जॉच के पश्चात् , जैसी की वह आवश्यक समझे , उस खाते में समाविष्टि भूमि का कब्जा ले सकेगा।	

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है क्योंकि मूल पट्टाग्रहीता बीजाराम, रतन पुत्रगण भोला बंजारा पिछले 35-40 वर्षो से ग्राम से फरार है उनके लापता रहने के कारण ग्रामीणों ने वादग्रस्त भूमि पर बेजा कब्जा कर लिया है, और मूल मामला अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के संज्ञान में आने पर उन्होंने वास्तविकता की जॉच तहसीलदार बीरपुर से कराकर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-3-15 पारित करके भूमि शासकीय दर्ज करने में किसी प्रकार की त्रृटि करना नहीं पाया गया है तथा इन्हीं कारणों से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक को किसी प्रकार का स्वत्व एंव स्वामित्व न पहुंचने के कारण उसके व्दारा की गई निगरानी व्यर्थ होना पाई गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 69/2013-14 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2015 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य